भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1196

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

बढ़ती महंगाई का कामगारों पर प्रभाव

1196. श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ती महंगाई का रोज़गार और साधारण जनता की क्रय क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) सरकार ने अध्ययन के परिणामों के आधार पर क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं;

(ग) सरकार की भविष्य में रोज़गार सृजित करने और आय बढ़ाने के लिए क्या योजनाएँ हैं;

(घ) बढ़ती महंगाई का कामगारों और अमंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार का महंगाई के अनुसार मज़दूरी में परिवर्तन करने संबंधी किसी नीति को कार्यान्वित करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को प्रदत्त दी जा रही राहत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। पीएलएफएस की कार्यप्रणाली में जनवरी 2025 से संशोधन किया गया था। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2025 संशोधित श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के श्रम बाज़ार संबंधी अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2022 में 3.6% से घटकर 2025 में 3.1% हो गई है।

इसके अलावा, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2022 में 54.1% से बढ़कर 2025 में 57.4% हो गया है।

पीएलएफएस कामगारों की आय के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। पीएलएफएस के अनुसार, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा पिछले कैलेंडर महीने के दौरान अर्जित अनुमानित औसत वेतन/वेतन आय वर्ष 2022 में 19,316 रुपये से बढ़कर वर्ष 2025 में 22,699 रुपये हो गई है। सार्वजनिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगे आकस्मिक श्रमिकों द्वारा प्रति दिन अर्जित अनुमानित औसत आय वर्ष 2022 में 394 रुपये से बढ़कर वर्ष 2025 में 453 रुपये हो गई है और स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा पिछले 30 दिनों के दौरान अर्जित अनुमानित सकल आय वर्ष 2022 में 12,732 रुपये से बढ़कर वर्ष 2025 में 14,861 रुपये हो गई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2024) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष) 2024-25 में 4.6% से घटकर 2025-26 में 2.1% हो गई। इसके अलावा, 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान औसत शीर्षक मुद्रास्फीति 3.9% रही। हालांकि, यह अभी भी आरबीआई के 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे है।

सरकार ने विशेष रूप से गरीबों और युवाओं के बीच सतत रोजगार को बढ़ावा देते हुए और घरेलू आय में सुधार करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक में वृद्धि, खुले बाजार में खरीदे गए अनाजों की सुनियोजित बिक्री, कम आपूर्ति की अवधि के दौरान आयात और निर्यात पर अंकुश लगाने की सुविधा, चुनिंदा वस्तुओं की बाजार में अधिक आपूर्ति करने के लिए स्टॉक सीमा का कार्यान्वयन, रियायती दरों पर भारत ब्रांड के तहत चुनिंदा खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री, और सबसे बढ़कर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण और 12 लाख रुपये (और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख रुपये) तक की वार्षिक आय में आयकर छूट देकर व्यक्तियों की डिस्पोजेबल आय में वृद्धि करना शामिल है। ।

मुद्रास्फीति नियंत्रण उपायों के अलावा, विभिन्न रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी/ग्रामीण आजीविका मिशन, रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी-विकसित भारत, कौशल विकास योजना आदि के माध्यम से रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया है**,** जो असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए वन-स्टॉप-समाधान है**,** श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम **-** "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" शुरू किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में एकल पोर्टल यानी ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण किया गया है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम से अब तक प्राप्त लाभों को देखने का अवसर मिलता है। अब तक**,** विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15**)** योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है ताकि ई-श्रम कार्ड धारकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना दावे का लाभ तथा पहुंच प्रदान की जा सके।
